अध्याय-IV

स्कीमों का निष्पादन

अध्याय-IV

स्कीमों का निष्पादन

राज्य में पेयजल आपूर्ति स्कीमें जल शक्ति विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाती हैं तथा अधिशाषी अभियंता कार्य की वांछित गति सुनिश्चित करने तथा स्कीमों को निर्धारित समय एवं लागत के भीतर पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी थे। स्कीमों के निष्पादन में कमियों जैसे कि स्कीमों के आरंभ/ पूर्ण होने में विलम्ब, भार-मुक्त भूमि के अभाव में रुकी पड़ी स्कीमें तथा लागत में वृद्धि इत्यादि पर नीचे चर्चा की गई है।

राज्य में कुल 18,60,585 गृहवासियों में से जून 2021 तक 14,25,114 गृहवासियों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए थे।

4.1 जल आपूर्ति स्कीमों का निष्पादन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगस्त 2022 तक सभी ग्रामीण गृहवासियों (17,04,231 संख्या) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित (जुलाई 2020) किया था। शहरी गृहवासियों (1,56,354 संख्या) के लिए कनेक्टिविटी के लिए कोई लक्ष्य निर्धरित नहीं किया गया था।

जून 2021 तक, 17,04,231 ग्रामीण गृहवासियों में से 13,01,681 (76 *प्रतिशत*) तथा 1,56,354 शहरी गृहवासियों में से 1,23,433 (79 *प्रतिशत*) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए थे।

चार्ट-4.1

राज्य में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन की स्थिति

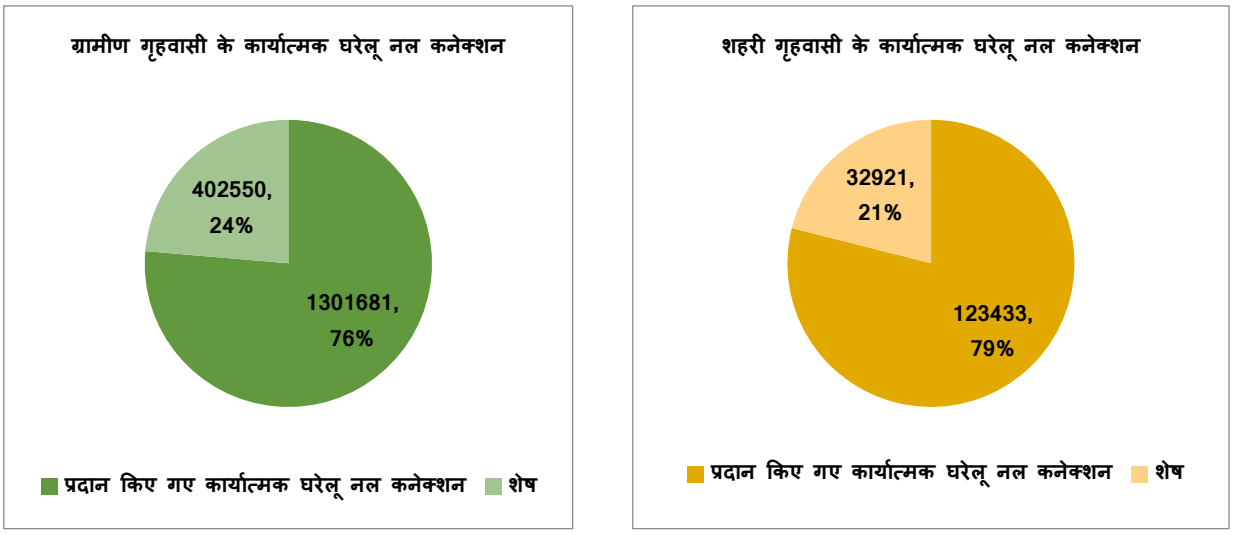

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

4.2 पूर्ण हो चुकी स्कीमों में आपूर्ति

लाभार्थियों को आपूर्ति किए जा रहे जल की मात्रा तथा गुणवत्ता का आश्वासन प्राप्त करने के लिए, लेखापरीक्षा ने विभागीय प्रतिनिधियों के साथ 40 पूर्ण हो चुकी स्कीमों (उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमें: 23 तथा ग्रेविटी जल आपूर्ति स्कीमें: 17) का संयुक्त निरीक्षण (जुलाई 2021 तथा मार्च 2022 के मध्य) किया। इन स्कीमों के क्षेत्रों में 787 बस्तियों के बीच फैली 1.77 लाख की अनुमानित जनसंख्या शामिल थी **(परिशिष्ट-1)**। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को इस अध्याय के बाद में विवर्णित किया गया है।

4.3 गृहवासियों की व्याप्ति के ऑनलाइन आंकड़ों तथा वास्तविक जल उपभोक्ताओं के आंकड़ों में भिन्नता

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत/इसकी उप-समिति अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, इत्यादि से कमीशनिंग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन का विवरण एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली[1] पर अपलोड किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया:

- एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के आकड़ों के अनुसार, 15 (20 में से) नमूना-जांचित मण्डलों[2] में फरवरी 2022 तक 4,18,714 ग्रामीण गृहवासियों के पास कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन थे। तथापि, उपभोक्ता बही-खातों[3] के अनुसार केवल 2,69,581 कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन थे। 1,49,133 कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन का अंतर इंगित करता है कि आंकड़ें बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए थे तथा गृहवासियों की वास्तविक व्याप्ति एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली में दिखाई गई व्याप्ति से बहुत कम थी।
- लाहौल एवं स्पीति जिले में, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के आकड़ों के अनुसार, 100 *प्रतिशत* अर्थात् 7,284 गृहवासियों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए थे, जबकि उपभोक्ता बहीखातों के अनुसार, केवल 1,335 कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (18 *प्रतिशत*) प्रदान किए गए थे।

एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के आंकड़ों को अपलोड करने से पहले ग्राम पंचायत/उसकी उप-समिति, अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, इत्यादि से मण्डलों द्वारा कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के कमीशनिंग प्रमाण पत्र भी प्राप्त

---

1 जल जीवन मिशन पोर्टल, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की ऑनलाइन रिपोर्ट।

2 बग्गी, बिलासपुर, चम्बा, चौतड़ा, डलहौज़ी, हमीरपुर, झण्डुता, काज़ा, केलांग, कुल्लू-I, मण्डी, मतियाना, रामपुर, सलूणी तथा थुरल

3 उपभोक्ता को स्वीकृत नए जल कनेक्शन को अभिलेख के लिए खाताबही में दर्ज किया जाता है। खाताबही उपभोक्ता का नाम, जारी किए गए बिलों की राशि, वसूली तथा शेष राशि भी दिखाता है

नहीं किए गए थे। इस प्रकार, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर अपलोड किए गए आकड़ों की विश्वसनीयता संदेहास्पद थी।

अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान, यह सामने लाया गया कि उपभोक्ता बहीखातों को अद्यतन नहीं करने के कारण भिन्नताएं थीं, जिन्हें अब अद्यतन किया जा रहा है तथा कमीशनिंग प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जा रहे हैं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन का ब्यौरा ग्राम पंचायतों/इसकी उप-समितियों अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/प्रयोक्ता समूहों, इत्यादि से कमीशनिंग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर अपलोड किया जाना चाहिए था।

1,125 स्वीकृत स्कीमों में से 88 स्कीमें आरम्भ नहीं की गई तथा 457 स्कीमें पूर्ण की जा सकी तथा 580 अपूर्ण पड़ी थी। 457 पूर्ण स्कीमों में से 282 स्कीमें एक से 113 माह के विलम्ब से पूर्ण की गई। 580 अपूर्ण स्कीमों में से 245 स्कीमें पूर्ण होने की अपनी निर्धारित अवधि से एक से 138 माह पीछे चल रही थी।

4.4 स्कीमों के निष्पादन की स्थिति

अधिशाषी अभियंता कार्य़ की वांछित गति सुनिश्चित करने तथा स्कीमों को निर्धारित समय एवं लागत के भीतर पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी थे। स्कीमों के निष्पादन में कमियों जैसे कि स्कीमों के आरंभ होने में विलम्ब, रुकी पड़ी स्कीमों, विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि, स्कीमों के त्रुटिपूर्ण समापन इत्यादि पर नीचे चर्चा की गई है।

वर्ष 2016-21 के दौरान निष्पादन के लिए शुरू की गई स्कीमों, पूर्ण की गई स्कीमों तथा अपूर्ण रह गई स्कीमों के कार्य-वार समेकित अभिलेख प्रमुख अभियंता स्तर पर अनुरक्षित/अद्यतन नहीं किए गए थे।

वर्ष 2016-21 के दौरान सभी नमूना-जांचित मण्डलों में स्कीमों के निष्पादन का ब्यौरा **तालिका-4.1** तथा **4.2** में दिया गया है।

तालिका-4.1

2016-21 के दौरान सभी नमूना-जांचित मण्डलों में स्कीमों के निष्पादन का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमोदित स्कीमें		जो स्कीमें आरम्भ नहीं हुई		पूर्ण स्कीमें		सितंबर 2021 तक अपूर्ण/ चल रही स्कीमें	
	संख्या	अनुमोदित लागत	संख्या (%)	अनुमोदित लागत	संख्या (%)	व्यय	संख्या (%)	व्यय
03/2016 से पहले	331	756.24	2 (01)	3.30	247 (75)	387.32	82 (24)	208.80
2016-17	109	124.96	1 (01)	0.36	67 (61)	25.32	41 (38)	90.15

वर्ष	अनुमोदित स्कीमें		जो स्कीमें आरम्भ नहीं हुई		पूर्ण स्कीमें		सितंबर 2021 तक अपूर्ण/ चल रही स्कीमें	
	संख्या	अनुमोदित लागत	संख्या (%)	अनुमोदित लागत	संख्या (%)	व्यय	संख्या (%)	व्यय
2017-18	76	55.69	4 (05)	0.12	32 (42)	6.15	40 (53)	27.19
2018-19	95	119.34	8 (08)	33.85	23 (24)	6.65	64 (68)	43.76
2019-20	249	760.03	9 (04)	12.05	64 (26)	19.91	176 (70)	242.46
2020-21	265	446.67	64 (24)	236.94	24 (09)	2.08	177 (67)	71.29
कुल	**1125**	**2262.93**	**88 (08)**	**286.62**	**457 (41)**	**447.43**	**580 (51)**	**683.65**

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

तालिका-4.2

2016-21 के दौरान सभी नमूना-जांचित मण्डलों में देखे गए समय तथा लागत में वृद्धि का विवरण

स्कीमें	समय वृद्धि के मामलों की संख्या	समय वृद्धि माह में	लागत वृद्धि के मामलों की संख्या	लागत में वृद्धि (करोड़ में)	विलंब से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या
पूर्ण स्कीमें	282	एक से 113 माह	125	39.66	4,65,099
अपूर्ण स्कीमें	245	एक से 138 माह	57	26.42	9,58,987
स्कीमें आरम्भ नहीं हुई	27	एक से 60 माह	दायित्व अभी तक सही रूप से कार्यान्वित नहीं हुए	दायित्व अभी तक सही रूप से कार्यान्वित नहीं हुए	37,309
कुल	**554**		**182**	**66.08**	**14,61,395**

4.4.1 पूर्ण स्कीमें

आरम्भ में अनुमोदित 1,125 स्कीमों में से, केवल 457 स्कीमें ही पूर्ण हो सकीं। इन 457 स्कीमों में से 282 स्कीमें भूमि विवाद (57), निधियों की अनुपलब्धता (37), वन स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब (नौ), ठेकेदारों के कारण विलंब (64), बर्फ से ढका क्षेत्र/ सीमित कामकाजी मौसम (10), बिजली की आपूर्ति में विलंब (पांच) तथा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन से विलंब (एक) के कारण एक से 113 माह के विलंब के बाद पूर्ण हुईं। शेष 99 जल आपूर्ति स्कीमों के संबंध में विभाग द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, इन 282 स्कीमों के 4,65,099 लाभार्थी समय पर पर्याप्त पेयजल आपूर्ति से वंचित रह गए। विलंब से पूर्ण की गई इन 282 स्कीमों में से 86 स्कीमें ₹ 24.26 करोड़ की लागत वृद्धि के साथ पूर्ण की गईं। इसी तरह, निर्धारित समय के भीतर पूर्ण की गई 175 स्कीमों में से 39 स्कीमों की लागत में ₹ 15.40 करोड़ की वृद्धि हुई।

4.4.2 अपूर्ण स्कीमें तथा आरम्भ नहीं हुई स्कीमें

- 31 मार्च 2021 तक 1,125 अनुमोदित जल आपूर्ति स्कीमों में से, कुल मिलाकर 580 स्कीमें अपूर्ण थीं (335 चालू कार्यों सहित जो पूरा होने की निर्धारित अवधि के भीतर थे)। यह 88 कार्यों के अतिरिक्त थे जो कभी आरम्भ नहीं हुए। 580 स्कीमों में से 82 स्कीमों को अप्रैल

2016 से पहले स्वीकृति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, 78 (82 में से) स्कीमें पूर्ण होने की अपनी निर्धारित अवधि (जनवरी 2010 तथा जनवरी 2021 के मध्य) से 13 से 138 माह पीछे चल रही थीं। परिणामस्वरूप, इन 78 स्कीमों के 4,49,016 लाभार्थी समय पर पर्याप्त पेयजल आपूर्ति से वंचित रह गए। ये स्कीमें भूमि विवाद (13), आवश्यक वन अधिकार अधिनियम स्वीकृतियों की अनुपलब्धता (1), ठेकेदार द्वारा विलंबित कार्य (2) तथा अपर्याप्त निधियों (5) के कारण अपूर्ण पड़ी थीं। शेष 57 जल आपूर्ति स्कीमों के संबंध में विभाग द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप विलम्ब के साथ चल रही 23 स्कीमों की लागत में ₹ 6.98 करोड़ की वृद्धि हुई थी, जिसके लिए विभाग को अभी संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त करनी थी।

- 2016-21 के बीच अनुमोदित शेष 498 स्कीमों में से, 167 स्कीमें अपनी निर्धारित पूर्णता अवधि से अधिक समय से अपूर्ण पड़ी थीं तथा इन स्कीमों में पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (फरवरी 2017 तथा सितंबर 2021 के मध्य) से एक से 47 माह के मध्य की वृद्धि देखी गई थी। इन 498 स्कीमों में से 331 स्कीमें अभी भी पूर्ण होने की अपनी निर्धारित तिथि के भीतर चल रही स्कीमें थीं। परिणामस्वरूप, 5,09,971 लाभार्थी समय पर पर्याप्त पेयजल आपूर्ति से वंचित रह गए। ये स्कीमें स्थान/ भूमि विवाद (23), सीमित कामकाजी मौसम (10), निधियों की अनुपलब्धता (12), ठेकेदारों द्वारा विलंब (दो), विद्युत आपूर्ति उपस्करों को स्थापित न करने (एक) तथा अन्य (चार) के कारण अपूर्ण पड़ी थीं। 115 जल आपूर्ति स्कीमों में संबंधित अधिशाषी अभियंताओं द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए थे। कार्यों को पूर्ण होने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 24 स्कीमों की लागत में ₹ 17.67 करोड़ की वृद्धि हुई थी, जिसके लिए विभाग को अभी संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त करनी थी। इसी तरह, मार्च 2016 के बाद अनुमोदित 498 स्कीमों में से 10 स्कीमें, जो अभी भी प्रगति पर हैं, की लागत में ₹ 1.77 करोड़ की वृद्धि हुई।
- यह देखा गया कि 31 मार्च 2021 तक 88 (8 *प्रतिशत*) स्कीमों का निष्पादन आरम्भ भी नहीं किया गया था। इन 88 स्कीमों में से, जून 2016 तथा अगस्त 2021 के मध्य पूर्ण होने वाली 27 स्कीमें, अपनी निर्धारित पूर्णता तिथियों से एक से 60 माह तक बढ़ चुकी थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्थानीय विवाद (एक), सूखा स्रोत (एक), तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करना (एक), ठेकेदारों द्वारा आरम्भ नहीं किए गए कार्य (तीन), प्रक्रियाधीन निविदा (पांच) विलंब में योगदान के रूप में उद्धृत कारण थे। विभाग ने शेष 16 स्कीमों के संबंध में विलंब के कारणों का उल्लेख नहीं किया। परिणामस्वरूप, इन 27 स्कीमों के 37,309 लाभार्थी पर्याप्त पेयजल आपूर्ति से वंचित रह गए। चूंकि इन स्कीमों को न तो कार्यान्वित किया गया था तथा न ही रद्द किया गया था, इसलिए इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता से इनकार नहीं किया जा सकता है।

जैसाकि **तालिका 4.2** से देखा जा सकता है, कि विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण होने में विलम्ब के कारण प्रभावित व्यक्तियों का प्रतिशत राज्य की जनसंख्या (2011 की अंतिम उपलब्ध जनसंख्या जनगणना के अनुसार) का 21.29 *प्रतिशत* था। परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब के परिणामस्वरूप समय में वृद्धि के साथ परियोजनाओं की संख्या कुल अनुमोदित परियोजनाओं का 49.24 *प्रतिशत* थी। इसी तरह, लागत में वृद्धि वाली परियोजनाओं की संख्या कुल अनुमोदित परियोजनाओं का 16.18 *प्रतिशत* है, जिनकी लागत में ₹ 66.08 करोड़ की वृद्धि हुई है। लागत वृद्धि के इस आंकड़े में 88 परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिन्हें अभी आरम्भ किया जाना था।

4.5 अनुमान से अधिक व्यय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार, संशोधित अनुमान तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब स्वीकृत अनुमान 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की संभावना हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 18 नमूना-जांचित मण्डलों[4] में, 95 स्कीमों (68 पूर्ण जल आपूर्ति स्कीमें तथा 27 प्रगतिरत जल आपूर्ति स्कीमें) के लिए स्वीकृत अनुमानों से ₹ 59.66 करोड़ अधिक व्यय किए गए थे, लेकिन इन कार्यों के संशोधित अनुमान जुलाई 2021-मार्च 2022 तक तैयार नहीं किए गए थे। 85 जल आपूर्ति स्कीमों में स्वीकृत अनुमानों का 11 से 97 प्रतिशत तथा नौ स्कीमों में 107 से 437 प्रतिशत के मध्य अधिक व्यय था; एक मामले में यह स्वीकृत अनुमानों का 748[5] प्रतिशत था। अधिक व्यय को नियमित करने की आवश्यकता थी।

अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (जुलाई 2021 तथा मार्च 2022) कि संशोधित अनुमान तैयार किए जाएंगे तथा अधिक व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

पूर्ण हो चुकी नौ जल आपूर्ति स्कीमों में ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा अर्ध शहरी क्षेत्र में 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानकों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 22 से 67 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा अर्ध शहरी क्षेत्र में 73 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बीच लाभार्थियों को जलापूर्ति प्रदान की जा रही थी। नमूना-जांचित 40 पूर्ण स्कीमों में स्त्रोत, जल शोधन इकाई, पंपिंग मशीनरी, राइजिंग/ ग्रेविटी मेन, भंडारण टैंक/ वितरण नेटवर्क तथा ऑटोमेशन/ क्लोरीनीकरण प्रणाली में कमियां पाई गईं, जिससे प्रयोक्ता आबादी को आपूर्ति किए जाने वाले जल की मात्रा तथा गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

---

[4] बग्गी: ₹ 2.55 करोड़, बिलासपुर: ₹ 0.45 करोड़, भोरंज: ₹ 0.55 करोड़, चम्बा: ₹ 2.01 करोड़, चौतड़ा: ₹ 0.35 करोड़, डलहौजी: ₹ 3.01 करोड़, धर्मशाला: ₹ 10.15 करोड़, हमीरपुर: ₹ 15.93 करोड़, काज़ा: ₹ 3.47 करोड़, केलांग: ₹ 0.20 करोड़, कुल्लू-1: ₹1.30 करोड़, मण्डी: ₹10.55 करोड़, मतियाना: ₹ 0.89 करोड़, रामपुर: ₹3.90 करोड़, रिकांगपिओ: ₹1.08 करोड़, सलूणी: ₹ 0.42 करोड़, शिमला: ₹ 2.78 करोड़ तथा थुरल: ₹ 0.07 करोड़।

[5] केलांग जिले में आंशिक आवृत बस्ती कुरचेड को जलापूर्ति स्कीम प्रदान करना- अनुमानित लागत: ₹ 1.32 लाख तथा व्यय: ₹ 11.20 लाख।

4.6 चयनित जल आपूर्ति स्कीमों की विस्तृत जांच

लेखापरीक्षा ने सितंबर 2006 तथा सितंबर 2019 के मध्य ₹ 116.47 करोड़ में अनुमोदित और अप्रैल 2016 तथा अक्टूबर 2021 के मध्य ₹ 132.49 करोड़ के व्यय के बाद पूर्ण हो चुकी 40 पूर्ण पेयजल आपूर्ति स्कीमों (उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमें: 23 तथा ग्रेविटी जल आपूर्ति स्कीमें: 17) की **(परिशिष्ट-1**) विस्तृत जांच की। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2011 तथा नवंबर 2018 के मध्य ₹ 37.51 करोड़ के लिए अनुमोदित 15 अपूर्ण जल आपूर्ति स्कीमों (उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमें: 08 तथा ग्रेविटी जल आपूर्ति स्कीमें: 07) जिनपर ₹ 22.04 करोड़ का व्यय हो चुका है, की भी विस्तृत जांच की गई **(परिशिष्ट-2**)।

जल की आपूर्ति में कमी

पांच नमूना-जांचित मण्डलों में नौ उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमों में यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए आंशिक रूप से प्रस्तावित स्कीम) में 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आपूर्ति के डिजाइन के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में 22 से 67 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों (उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली) में 73 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बीच जल की आपूर्ति लाभार्थियों को की जा रही थी, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में विवर्णित है।

अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान, सचिव ने स्थिति को स्वीकार किया तथा बस्तियों में पेयजल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

पूर्ण जलापूर्ति स्कीमों की घटक-वार कमियों पर नीचे चर्चा की गई है।

4.6.1 जल आपूर्ति स्कीमों के स्रोत में कमियां

जल के स्रोत से आशय जल के उन स्त्रोतों से है जो जनता को पेयजल प्रदान करते हैं। जल स्रोतों में सतही जल (नदियाँ, खड्ड, नाला, नहर, इत्यादि) तथा भूजल (अंत:स्त्रवण कुएं, बोरवेल, इत्यादि) शामिल हैं। 40 स्कीमों में से 31 स्कीमों में सतही जल स्त्रोत तथा नौ में भूजल स्त्रोत थे। लेखापरीक्षा के दौरान स्कीमों के स्त्रोत से संबंधित पाई गई कमियां नीचे **तालिका 4.3** में दी गई हैं।

तालिका-4.3

जल आपूर्ति स्कीमों में स्रोत की कमियां

क्र.स.	स्कीम	स्रोत की कमियां
1.	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम जख्याल फेज 2 (हमीरपुर जिला)	• अंतःस्त्रवण कुएं के मूल स्थल को फैली हुई सीर खड्ड से ऊपर की ओर परिवर्तित कर दिया गया तथा सीर खड्ड के बीच में निर्मित कर दिया। **सीर खड्ड के बाढ़ प्रवण क्षेत्र में अंत:स्त्रवण कुआँ**

		• प्रवाह को मोड़ने के लिए तटरक्षक दीवार[6] (स्पर) का निर्माण नहीं किया गया था। अंत:स्त्रवण कुआं संरक्षित नहीं था तथा बाढ़ के दौरान बह सकता था।
2.	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम करेरी, टकरून, ग्वाल पाथेर तथा हथोल का सुधार (हमीरपुर जिला)	• मान खड्ड के किनारे पर अंत:स्त्रवण कुएं का निर्माण किया गया था, लेकिन खड्ड में जल के प्रवाह के साथ, इसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार बारिश के मौसम के दौरान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। निकट भविष्य में अंत:स्त्रवण कुएं के क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। • अंत:स्त्रवण कुएं के संरक्षण के लिए कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी। **मान खड्ड के तट पर अंत:स्त्रवण कुएं की क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार**
3.	हमीरपुर जिले में उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम लगवाल्टी जांगले तथा उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम भाटलाम्बर का सुधार	• यह स्कीम अक्टूबर 2020 के दौरान ₹ 56.55 लाख की लागत से पूर्ण दिखाई गई थी, लेकिन अंत:स्त्रवण कुएं तथा पंप हाउस का निर्माण अभी तक नहीं किया गया था। • एक अन्य उठाऊ सिंचाई स्कीम जाखू के अंत:स्त्रवण कुएं का उपयोग 10 हॉर्सपॉवर सबमर्सिबल पंपिंग सेट की स्थापना करके स्कीम को कार्यात्मक बनाने के लिए किया गया था, जबकि उठाऊ सिंचाई स्कीम को अकार्यात्मक कर दिया गया था। • लेखापरीक्षा द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में, सात (30 में से) लाभार्थी इस स्कीम के माध्यम से आपूर्ति किए गए पेयजल की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं थे।
4.	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली (शिमला जिला)	• 5 लीटर प्रति सेकंड की क्षमता वाला एक बोरवेल तथा बोरवेल से जल प्रशोधन संयंत्र तक इसकी राइजिंग मेन, इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड, बिजली का खंभा, इत्यादि अगस्त 2019 के दौरान आई बाढ़ से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त तथा बह गए थे। बोरवेल का निर्माण स्रोत (अश्वनी खड्ड) के बीच में किया गया था। **अश्वनी खड्ड में स्रोत के बीच में निर्मित क्षतिग्रस्त बोरवेल** • 6,64,080 लीटर प्रतिदिन की कुल जल आवश्यकता की तुलना में, 7 लीटर प्रति सेकंड की क्षमता वाले दूसरे बोरवेल से केवल 4,03,200 लीटर प्रति दिन (बोरवेल से 16 घंटे x 7 लीटर प्रति सेकंड पंपिंग की दर से) उठाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 2,60,880 लीटर प्रति

[6] स्पर (अथवा ग्राइनस्) ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें जल प्रवाह के अनुप्रस्थ रखा जाता है और तट से नदी/ खड्ड तक विस्तारित करता है।

		दिन की कम आपूर्ति हुई थी। जल केवल वैकल्पिक दिनों में बस्तियों को वितरित किया जा रहा था। • बोरवेल के क्षतिग्रस्त होने की तिथि से दो साल (जुलाई 2021 तक) की अवधि बीत चुकी थी, लेकिन इसकी मुरम्मत नहीं की गई थी। 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की तुलना में, इस स्कीम के लाभार्थियों को केवल 73 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल उपलब्ध करावाया जा रहा था।
5.	जलापूर्ति स्कीम से आंशिक रूप से आच्छादित की गई बस्ती बनूरी, बनूरी खास (कांगड़ा जिला)	• किसी इन्टेक चैम्बर का निर्माण नहीं किया गया था। • जल का सीधे आवा खड्ड से दोहन किया गया था तथा पाइपों को खड्ड में खुला रखा गया था, जिनके बारिश के मौसम में जल के उच्च प्रवाह के साथ बह जाने की संभावना थी। **आवा खड्ड से सीधे (बिना इन्टेक चैम्बर के) जल का दोहन किया गया**
6.	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम सुका कुन (मण्डी जिला)	• सबमर्सिबल पंप के माध्यम से ब्यास नदी से अशोधित जल उठाने की स्कीम के लिए एक घिरनी कक्ष तथा सिस्टम रेल ट्रॉली सिस्टम का निर्माण किया गया था तथा सिस्टम अगस्त 2021 में आई बाढ़ के कारण टिल्ट हो गया/ पटरी से उतर गया था। • रेल ट्रॉली को नवंबर 2021 तक विभाग द्वारा इसके स्थान पर समायोजित नहीं गया था। **ब्यास नदी से जल उठाने के लिए टिल्टिड रेल ट्रॉली सिस्टम** • 577360 लीटर (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) जल की आवश्यकता की तुलना में, खलियाना खड्ड से केवल 463680 लीटर (56 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) जल उठाया जा रहा था। • बाथर, चलहार तथा खजरून गांव के सभी सर्वेक्षित लाभार्थियों (10) ने लाभार्थी सर्वेक्षण में बताया कि 3 दिनों में केवल एक बार जलापूर्ति की गई थी।

4.6.2 जल शोधन इकाई में कमियां

जल शोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जल की गुणवत्ता में सुधार करती है ताकि इसे एक विशिष्ट अंत-उपयोग तक के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। जल शोधन प्रक्रिया में संग्रहण, अवसादन; शुद्धिकरण; निथराई; तथा कीटाणुशोधन सहित कई चरण शामिल हैं। जल आपूर्ति स्कीमों की जल शोधन इकाइयों में लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियां **तालिका 4.4** में दी गई हैं।

तालिका-4.4

जल आपूर्ति स्कीमों में जल शोधन इकाई में कमियां

क्र.स.	स्कीम	कमियां	
1.	जल आपूर्ति स्कीम डोभी शिम (कुल्लू जिला)	• स्कीम को पूर्ण दिखाया गया था (दिसंबर 2020) लेकिन अवसादन टैंक तथा फिल्टर बेड को स्रोत से जुड़ा नहीं देखा गया था (अगस्त 2021)। परिणामस्वरूप, गृहवासियों को बिना फ़िल्टर किए जल की आपूर्ति की जा रही थी। • लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सर्वेक्षण में, स्कीम के छः लाभार्थियों (30 में से) ने कहा कि जल अच्छी गुणवत्ता का नहीं था तथा बारिश के मौसम के दौरान मटमैला हो गया था।	 **अपूर्ण अवसादन टैंक तथा फ़िल्टर बेड**
2.	जल आपूर्ति स्कीम दवाड़ा (कुल्लू जिला)	• 2018 के दौरान क्षतिग्रस्त अवसादन टैंक तथा फिल्टर बेड की अगस्त 2021 तक मुरम्मत नहीं की गई थी। इसलिए, स्रोत से सीधे गृहवासियों को बिना फ़िल्टर किए जल की आपूर्ति की जा रही थी। • स्कीम के 33 लाभार्थियों में से दस ने बताया कि बारिश के मौसम के दौरान जल की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी तथा खराब हो गई थी।	 **क्षतिग्रस्त अवसादन टैंक तथा फ़िल्टर बेड**
3.	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम गांव शिरगुल्ली कदरैन तथा बलघर घस्सिगांव मडहोग (शिमला जिला)	• अवसादन टैंक की दीवारों पर रिसाव था तथा जल मटमैला था। अवसादन टैंक तथा फिल्टर बेड गंदे थे। • अवसादन टैंक तथा फिल्टर बेड की सफाई का अभिलेख उपलब्ध नहीं था। • चार (**31** में से) लाभार्थी पेयजल की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं थे।	 **अवसादन टैंक में रिसाव**
4.	जल आपूर्ति स्कीम दुल पंजाजन तथा दागोन गांवों का	• स्कीम के फेज़ 1 के 2012-13 के दौरान निर्मित अवसादन टैंक तथा फिल्टर बेड अप्रयुक्त (दिसंबर 2021) पड़े थे। फेज़ 2 में, फिल्टर बेडस का निर्माण किया गया था तथा स्कीम के पूर्ण होने की सूचना दी गई थी (मार्च 2018) लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया था।	

	समूह (मण्डी जिला)	• माप पुस्तिका (संख्या 1769) के अनुसार, फ़िल्टर बेड का माप अप्रैल 2018 के दौरान किया गया था, जिसमें सभी परतों (शीर्ष परत: महीन रेत; दूसरी परत: मोटा रेत 3 मिमी से 6 मिमी; तीसरी परत: बजरी 20 मिमी से 25 मिमी, तथा नीचे की परत: टूटे हुए पत्थर 50 मिमी से 75 मिमी) को बिछाया दिखाया गया था। तथापि, नीचे की परत पर केवल लगभग 75 मिमी के टूटे हुए पत्थर पाए गए तथा कोई अन्य परत प्रमाणित के रूप में नहीं देखी गई। यह फिल्टर बेड के संदेहास्पद माप को इंगित करता है। इस प्रकार, फिल्टर बेड का निर्माण विशिष्टियों के अनुसार नहीं किया गया था तथा स्रोत (नाले) से दोहन किए गए जल को सीधे भंडारण टैंक में ले जाया गया था। • 17 लाभार्थियों (30 में से) ने पेयजल की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया ।	
5.	तीन जल आपूर्ति स्कीमें भोरंज: जल आपूर्ति स्कीम कथियालवीं, मतियाना: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम स्वारी खड्ड तथा शिमला: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली	• स्कीमों के संयुक्त निरीक्षण (जुलाई 2021 से मार्च 2022 के बीच) से पता चला कि तीन स्कीमों (40 में से) में, अवसादन टैंक तथा फिल्टर बेड दिसंबर 2018 तथा फरवरी 2021 से साफ नहीं किए गए थे। परिणामस्वरुप, अवसादन टैंक तथा फिल्टर बेड में शैवाल की परतें बन गई थीं। • दो (तीन में से) स्कीमों के 15 (63 में से) लाभार्थियों ने कहा कि गंदे तथा बदबूदार जल की आपूर्ति की जा रही थी।	 **जल आपूर्ति स्कीम कथियालवीं का साफ न किया गया अवसादन टैंक** **उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम स्वारी खड्ड का साफ न किया गया फ़िल्टर बेड** **उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजरली का साफ न किया गया फ़िल्टर बेड**

6.	जल आपूर्ति स्कीम बचूनी पुखरी फेज-2 तथा जल आपूर्ति स्कीम दानून का सुधार (चम्बा जिला)	• घाल नाले (स्रोत) से दोहन किया गया जल लाभार्थियों को फ़िल्टर किए बिना दिया जा रहा था। फिल्टर मीडिया का चैम्बर क्षतिग्रस्त तथा गंदा था। चैम्बर में बाहर की सामग्री, झाड़ियाँ तथा पत्थर दिखाई दे रहे थे। लाभार्थियों को बिना फिल्टर किए जल की आपूर्ति की जा रही थी। • 16 लाभार्थियों (30 में से) ने पीने के जल की गुणवत्ता के प्रति असंतोष व्यक्त किया (अक्टूबर 2021)।	 **फ़िल्टर बेड का साफ न किया गया चैम्बर**
7.	जसूर, डूखर, भराड़ी तथा टिकरी गांव की जल आपूर्ति स्कीम का संवर्धन (चम्बा जिला)	• प्रस्तावित महादेव नाले से जल का दोहन करने के बाद, जल को फ़िल्टर करने के बाद आपूर्ति के लिए विद्यमान अवसादन टैंक में ले जाना आवश्यक था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि योजना के अनुसार पहले पुराने अवसादन टैंक और फिल्टर मीडिया के बदले महादेव नाले से सीधे कुट में भंडारण टैंक तक लाइन बिछाई गई थी। परिणामस्वरुप, लाभार्थियों को बिना फ़िल्टर किए गए जल की आपूर्ति की जा रही थी। • 30 में से 16 लाभार्थी पेयजल की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं थे।	

4.6.3 पंप हाऊस तथा पंपिंग मशीनरी में कमियां

पंप हाऊस वह स्थान है जहां राइजिंग मेन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल उठाने के लिए पंपिंग मशीनरी स्थापित की जाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा:

- लाहौल एवं स्पीति जिले में उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम तांदी का संवर्धन कार्य ₹ 34.85 लाख की लागत से अक्टूबर 2020 में पूर्ण कर लिया गया था लेकिन पंपिंग मशीनरी चलाने के लिए अलग से बिजली मीटर की स्थापना नहीं होने के कारण इसे कार्यात्मक नहीं बनाया गया था। इस स्कीम के चालू न होने के परिणामस्वरूप ₹ 34.85 लाख का व्यय व्यर्थ रहा।
- उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली (शिमला जिला) में, दिसंबर 2018 में चालू होने के समय से दूसरे पंप के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर स्थापित नहीं किया गया था, जिससे पंप अकार्यात्मक रहा।
- केन्द्रीय जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन नियमावली तथा विभाग के निर्देशानुसार (मई 2003), सभी जल आपूर्ति स्कीमों में स्टैंडबाई पंप का प्रावधान किया जाना चाहिए। यद्यपि, चार नमूना-जांचित मण्डलों में, दिसंबर 2018 और अगस्त 2021 से छः जल आपूर्ति

स्कीमों[7] के सात पंप सेट खराब पाए गए। विभाग ने लेखापरीक्षा की तिथि तक इन स्टैंडबाई पंपों की मुरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की थी। इससे यह प्रतीत होता है कि यदि इन जल आपूर्ति स्कीमों का दूसरा पंप खराब हो जाता है, तो गृहवासियों को जल की आपूर्ति प्रभावित होगी।

- रामपुर मण्डल के अंतर्गत उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम काशापाट खड्ड से इंसा तक तथा उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम खराहन खड्ड से जाहू कोफराधार तक दो नमूना-जांचित स्कीमें क्रमशः अगस्त 2017 तथा मई 2017 में पूर्ण की गईं। तथापि, जल उठाने के लिए संस्थापित पम्पिंग मशीनरी इष्टतम क्षमता अनुसार संचालित नहीं की गई थी। उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम काशापाट खड्ड की पंपिंग मशीनरी प्रतिदिन 16 घंटे के निर्धारित संचालन के प्रति केवल प्रतिदिन 12.1 घंटे संचालित की गई। इसी तरह, उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम खराहन खड्ड की पंपिंग मशीनरी 8 घंटे के बजाए 4.33 घंटे प्रतिदिन ही संचालित की गई। परिणामस्वरूप, अपर्याप्त जल उठाया जा रहा था तथा लाभार्थियों को इसकी अपर्याप्त आपूर्ति की जा रही थी (**परिशिष्ट-3)**।

4.6.4 राइजिंग /ग्रेविटी मेन में कमियां

राइजिंग मेन पंप से भंडारण टैंक तक जल ले जाने वाली डिलीवरी लाइन है। ग्रेविटी मेन पंपिंग के बिना पाइप नेटवर्क के माध्यम से स्रोत से उपयोगकर्ता तक जल ले जाती है।

- आंशिक रूप से आच्छादित की गई बस्ती सोसरिंग (किन्नौर जिला) को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करने में, स्कीम के सभी घटकों अर्थात् इन्टेक चैम्बर: एक, 10000 लीटर क्षमता का भंडारण टैंक: एक, वितरण नेटवर्क इत्यादि का निर्माण किया गया था, लेकिन ग्रेविटी मेन 350 रनिंग मीटर (इन्टेक चैम्बर से भंडारण टैंक तक 25 मिमी का व्यास) नहीं बिछाई गई थी। निर्मित टैंक के बगल में, नाले का पानी बह रहा था जिसका ग्रामीणों द्वारा सिंचाई के उद्देश्य से उपयोग किया जाता था। 350 रनिंग मीटर ग्रेविटी मेन बिछाकर निर्मित टैंक को प्रस्तावित स्रोत से जोड़ने की अपेक्षा, टैंक के बगल में बहने वाले जल का निर्मित टैंक में दोहन किया गया तथा जल आपूर्ति स्कीम को कार्यात्मक बनाया गया। जब सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती थी, तो नाले के पानी को सिंचाई उद्देश्य के लिए परिवर्तित कर दिया जाता था और अन्यथा जल को पीने के उद्देश्य के लिए टैंक में परिवर्तित कर दिया जाता था।
- संयुक्त निरीक्षण के दौरान उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम झरेट रझूं तथा उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम कियारवां (कांगड़ा जिला) के स्रोत स्तर के सुधार एवं संवर्धन में, 2011-12 के दौरान बिछाई गई स्कीम की ग्रेविटी मेन बिना एंकर ब्लॉक के पड़ी देखी गई। इस स्कीम को मार्च 2020 में पूर्ण दिखाया गया था। तथापि, वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 8.47 लाख की लागत से एक ठेकेदार को दिए गए ग्रेविटी मेन के लिए थ्रस्ट ब्लॉक/एंकर ब्लॉक का निर्माण कार्य नहीं किया था तथा मण्डल ने ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की थी। बाढ़ के मामले में एंकर ब्लॉक

[7] भोरंज: एक; मण्डी: दो; मतियाना: तीन और शिमला: एक।

के बिना ग्रेविटी मेन क्षतिग्रस्त हो सकती है। इस प्रकार, विभाग ने ग्रेविटी मेन की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की थी।

4.6.5 भंडारण टैंक तथा वितरण नेटवर्क में कमियां

(i) भंडारण टैंक का निर्माण न करना तथा वितरण नेटवर्क न बिछाना

जिया गोपालपुर फेज-1 (कांगड़ा जिला) की जल आपूर्ति स्कीम के लिए वितरण प्रणाली के प्रतिस्थापन में, एक ठेकेदार को सौंपे गए (जुलाई 2013) सात भूमिगत जलाशयों के निर्माण के प्रति, 10000 और 115000 लीटर के क्षमता वाले छ: भूमिगत जलाशयों का निर्माण किया गया था तथा 10000 लीटर के एक भूमिगत जलाशय का निर्माण नहीं किया गया था। जनवरी 2022 तक 25 मिमी व्यास (480 रनिंग मीटर) तथा 32 मिमी व्यास (1435 रनिंग मीटर) वाली जस्तीकृत लोहे की पाइप के बिछाने तथा जोड़ने का काम आरम्भ नहीं किया गया था। तथापि विभाग ने स्कीम के पूर्ण होने की सूचना दी थी (फरवरी 2020)। आठ (32 में से) लाभार्थियों ने बताया (जनवरी 2022) कि अपर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाया जा रहा था।

(ii) भंडारण टैंक में रिसाव

उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम धरारसानी तथा उसके आसपास के गांवों (बिलासपुर जिला) में, जुलाई 2021 से वितरण नेटवर्क में रिसाव था, लेकिन दिसम्बर 2021 तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। इससे जल का अपव्यय हो रहा था। तथापि, रिसाव की प्रवाह दर के ब्यौरे के अभाव में जल अपव्यय की सही मात्रा की गणना नहीं की जा सकी।

(iii) वितरण नेटवर्क- तथ्यों की गलत रिपोर्टिंग

- उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली (शिमला जिला) में, 30,650 रनिंग मीटर की वितरण लाइन के प्रति, जुलाई 2021 तक केवल 24891 रनिंग मीटर लाइन बिछाई गई थी। यद्यपि स्कीम अपूर्ण थी, लेकिन इसे पूर्ण दिखाया गया था। छ: (30 में से) लाभार्थियों ने बताया (जुलाई 2021) कि वितरण लाइन नहीं बिछाई गई थी तथा अपर्याप्त जल की आपूर्ति की जा रही थी।
- रिकांगपिओ मण्डल में, जल आपूर्ति स्कीम' 'छम्बल से पांगी (किन्नौर जिला) को अप्रैल 2016 में पूर्ण दिखाया गया था। स्कीम के अनुमोदित कार्य क्षेत्र में इन्टेक चैम्बर, दो भंडारण टैंक (5000 लीटर और 10000 लीटर), क्लोरीनेशन कक्ष तथा वितरण नेटवर्क का निर्माण शामिल था। सितंबर, 2008 में ₹ 9.81 लाख में अवार्ड किए गए एक इन्टेक चैम्बर, आरसीसी भूमिगत भंडारण टैंक (5000 लीटर), क्लोरीनेशन कक्ष, कांटेदार तार बाड़ लगाने, स्थल का विकास तथा विभिन्न व्यास के जस्तीकृत हल्के स्टील ट्यूब बिछाने एवं जोड़ने का कार्य फरवरी, 2010 में पूर्ण हो गया था। शेष कार्य अर्थात् आरसीसी भूमिगत टैंक (10000 लीटर) का निर्माण, स्टैंड

पोस्ट, भंडारण टैंक के लिए स्थल का विकास तथा विभिन्न व्यास के जस्तीकृत हल्के स्टील ट्यूब बिछाने एवं जोड़ने तथा जस्तीकृत हल्के पीट वाल्व को उपलब्ध करवाने तथा लगाने के लिए सितम्बर 2008 में ₹ 6.46 लाख में आबंटित किया गया था जिसको छ: माह के भीतर निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना था। तथापि, अभिलेखों की जांच तथा संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि ठेकेदार द्वारा 10,000 लीटर के केवल एक टैंक का निर्माण किया गया था और शेष घटकों का निर्माण नहीं किया गया था। ठेकेदार को ₹ 2.85 लाख की सामग्री[8] (मार्च 2009) जारी की गई थी लेकिन ठेकेदार ने उसका कोई कार्य निष्पादित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि सभी निष्पादित घटक अर्थात् इन्टेक चैम्बर, भंडारण टैंक, क्लोरीनेशन चैम्बर तथा बिछाए गए हल्के स्टील (जस्तीकृत हल्के स्टील) ट्यूब उपयोग में नहीं पाए गए। ₹ 26.18 लाख का कुल व्यय किया गया था तथा स्कीम को अप्रैल 2016 में पूर्ण दिखाया गया था, लेकिन वास्तव में यह स्कीम लेखापरीक्षा की तिथि तक भी अपूर्ण थी। इस प्रकार, स्कीम के निष्पादित कार्य का उपयोग नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.18 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, 2009 से ठेकेदार के पास ₹ 2.85 लाख की सामग्री पड़ी हुई थी। इस प्रकार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का स्कीम का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

- मण्डी जिले में दुल पंजाजन तथा डागोन गांवों के समूह की जल आपूर्ति स्कीम जनवरी 2015 तक पूर्ण होनी थी, जो वास्तव में पूर्ण नहीं हुई थी क्योंकि ₹ 2.57 लाख में तीन ठेकेदारों को दिए गए जस्तीकृत लोहे की पाइप (वितरण नेटवर्क का भाग) बिछाने व जोड़ने के तीन उप-कार्य शुरू नहीं हुए थे। मण्डल ने जनवरी 2022 तक न तो अनुबंधों को रद्द किया था और न ही कार्यों के निष्पादन के लिए कार्रवाई की थी। अपूर्ण स्कीम को मार्च 2018 में पूर्ण दिखाया गया था।

4.6.6 विविध घटकों में कमियां- स्वचालन तथा क्लोरीनीकरण

- उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम काशापाट खड्ड से इंसा (शिमला जिला)

  (i) स्कीम का कार्य (जनवरी 2016) ₹ 5.37 करोड़ में आबंटित किया गया था तथा इसे 12 माह के भीतर पूर्ण किया जाना निर्धारित था। यह स्कीम अगस्त 2017 में आरम्भ हुई थी। तथापि, नोड 10 (सारटू) में डिलिवरी टैंक तक पम्पिंग मशीनरी सहित स्वचालन प्रणाली स्कीम के चालू होने से ही कार्य नहीं कर रही थी। स्वचालन प्रणाली की लागत ₹ 45.65 लाख थी। अनुबन्ध के अनुसार, सामान्य स्लूस वाल्व के साथ स्कीम के स्वचालन का प्रावधान था जो स्थल पर अनुकूल नहीं था। वास्तव में स्थल पर स्कीम के पूर्ण स्वचालन के लिए आवश्यक

[8] जस्तीकृत आयरन पाइप: 15 मिमी व्यास (500 रनिंग मीटर); 20 मिमी व्यास (1654 रनिंग मीटर); 25 मिमी व्यास (175 रनिंग मीटर); 40 मिमी व्यास (30 रनिंग मीटर) तथा सीमेंट (50 बैग)।

स्व-सक्रिय स्लूस वाल्व[9] तथा स्काडा प्रणाली[10] का कोई प्रावधान नहीं था। स्कीम के पूर्ण स्वचालन के लिए स्व-सक्रिय स्लूस वाल्व तथा स्काडा प्रणाली का प्रावधान सितंबर 2019 में ₹ 43.59 लाख की अतिरिक्त मदों के रूप में किया गया। इन अतिरिक्त मदों को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाया गया जिसके लिए जून 2020 में ठेकेदार को ₹ 35.17 लाख का भुगतान किया गया। इसके बावजूद, स्वचालन प्रणाली को पिछले 54 माह से कार्यात्मक नहीं बनाया गया था तथा स्कीम को मैनुअल रूप से संचालित किया जा रहा था। इसके कारण रिकॉर्ड में नहीं थे तथा दो वर्षों के लिए स्कीम के संचालन एवं रखरखाव का अनुबंध भी समाप्त हो चुका था। इस प्रकार, विभाग आरम्भ में स्थल पर स्वचालन प्रणाली की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने में विफल रहा था तथा इस घटक पर किए गए ₹ 80.82 लाख (सामान्य स्वचालन प्रणाली: ₹ 45.65 लाख तथा स्व-सक्रिय स्वचालन प्रणाली: ₹ 35.17 लाख) का व्यय व्यर्थ रहा।

(ii) फरवरी 2022 तक स्कीम के जल शोधन संयंत्र पर ब्लीचिंग पाउडर टाईप क्लोरिनेटर को भी कार्यात्मक नहीं बनाया गया था। बताया गया कि क्षेत्रीय भंडारण टैंकों में दैनिक आधार पर ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता था लेकिन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए क्लोरीनयुक्त जल के जल परीक्षण में यह भी देखा गया कि जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित 0.2 मिलीग्राम/लीटर क्लोरीन की तुलना में 0.1 मिलीग्राम/लीटर अवशिष्ट क्लोरीन पाए गए। यह इस तथ्य को इंगित करता था कि विभाग द्वारा उचित क्लोरीनीकरण नहीं किया जा रहा था।

(iii) जल शोधन संयंत्र का कार्य दिसंबर 2014 में ₹ 6.99 करोड़ में आंबटित किया गया था जिसे 12 माह के भीतर पूरा किया जाना था। यह स्कीम अगस्त 2017 में ही पूर्ण तथा चालू कर दी गई थी। जल शोधन संयंत्र में प्रयोगशाला तथा उपकरणों के प्रावधान किए गए थे तथा ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गए थे। अवार्ड पत्र की शर्त के अनुसार, इस प्रयोगशाला को ठेकेदार द्वारा जनवरी 2018 तक छः माह के लिए चलाया जाना था। उसके बाद प्रयोगशाला को संचालन हेतु विभाग को सौंपा जाना था। तथापि, संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि विभाग द्वारा प्रयोगशाला का संचालन नहीं किया जा रहा था तथा उपकरण जनवरी 2018 से बेकार पड़े थे। इस प्रकार, कार्य स्थल पर परीक्षण के अभाव में, गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

- जल आपूर्ति स्कीम यूटीप, बैट, लुड्डू, इत्यादि (चम्बा जिला):

(i) स्कीम के जल शोधन संयंत्र में गैसीय क्लोरीनीकरण प्रणाली स्थापित की गई थी। यद्यपि, यह देखा गया कि 100 किलोग्राम की क्षमता वाले चार स्थापित सिलेंडरों में से (एक सिलेंडर की अवधि चार से पांच माह है), एक भी सिलेंडर अभी तक खत्म नहीं हुआ था, जबकि स्कीम

---

[9] रेगुलेटर में एक वाल्व या गेट होता है जो स्लूस हेड गेट के माध्यम से जल के प्रवाह की दर को नियंत्रित करता है।

[10] स्काडा: सुपरवाइजरी कण्ट्रोल एवं डाटा अर्जन (स्काडा) सिस्टम कंट्रोल कार्यक्षमता प्रदान करता है ग्रामीण/शहरी जल आपूर्ति स्कीम स्थलों पर सतर्क करता है जो कई मामलों में बहुत दूरस्थ हैं तथा विभिन्न प्रकार के बढ़ते दबावों जैसे उपभोक्ता मांगों, नियामक आवश्यकताओं तथा परिचालन लगातों को कम करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी हैं। यह प्रक्रिया नियंत्रण के लिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम है।

के चालू होने की तिथि (अप्रैल 2017) से 56 माह बीत चुके हैं, जो अनुचित संचालन को इंगित करता है। 09.12.2021 को स्कीमों के आउटलेट से एकत्र किए गए जल के नमूनों का जिला प्रयोगशाला, चम्बा में किए गए जल परीक्षण में हुई पुष्टि के अनुसार इसमें क्लोरीन अवशिष्ट जो 0.2 मिलीग्राम/लीटर होना चाहिए, पहचान सीमा से कम था। यह देखा गया कि कर्मचारियों को इस गैसीय प्रणाली के संचालन के बारे में कोई उचित जानकारी नहीं थी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभाग द्वारा गैसीय क्लोरीनीकरण प्रणाली की कोई लॉग-बुक बनाई नहीं गई थी।

(ii) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के प्रावधानों के अनुसार जल शोधन संयंत्र में स्थापित प्रयोगशाला (अप्रैल 2017) 2019 से जीर्ण-क्षीर्ण स्थिति में थी। संयुक्त निरीक्षण में पता चला कि प्रयोगशाला की इमारत बारिश के मौसम में क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा अप्रैल 2017 से ठेकेदार द्वारा स्कीम के संचालन एवं रखरखाव का कार्य किया गया था जिसका अनुबंध अप्रैल 2022 को समाप्त होने वाला था।

- उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली (शिमला जिला) में स्कीम के निगर्त कुएं एवं मुख्य भंडारण टैंक के शीर्ष पर स्थापित गैसीय क्लोरीनेशन संयंत्र जून 2019 से खराब पड़ा था, जिसके कारण स्वचालित क्लोरीनेशन नहीं हो पा रहा था।

गैसीय क्लोरीनीकरण संयंत्र

- तीन नमूना-जांचित मण्डलों में, तीन[11] (40 में से) नमूना-जांचित की गई जल आपूर्ति स्कीमों (जुलाई 2016 से नवंबर 2018 के दौरान पूर्ण हुई) में, प्रतिदिन 1900, 1400 तथा 1700 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता के प्रति, मुख्य भंडारण टैंकों में क्रमशः 1200, 1000 और 1000 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर मैनुअली डाला जाता था। इस प्रकार, भंडारण टैंकों में 700, 400 और 700 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की कम मात्रा डाली जाती थी। जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम जूनी खड्ड स्कीम से जल का एक नमूना लिया गया तथा इसका परीक्षण करवाया गया। नमूने में क्लोरीन का कोई अवशिष्ट नहीं दिखा, जिसके कारण जल के नमूने में जीवाणु दूषण (कुल कोलीफॉर्म 23/100 सबसे संभावित संख्या) भी पाया गया।

  इसके अतिरिक्त, दो (उपर्युक्त तीन में से) नमूना-जांचित जल आपूर्ति स्कीमों[12] की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में पूर्ण सहायक उपकरण (स्वचालन प्रणाली) के साथ कैमिकल सॉल्यूशन डोजिंग पंप का प्रावधान रखा गया था, लेकिन स्कीमों के पूर्ण होने के समय इसकों निर्मित/संस्थापित नहीं किया गया था। जल शोधन संयंत्र में कैमिकल सॉल्यूशन डोजिंग पंप का निर्माण

[11] झंडुता: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम बरड मनन (नवंबर 2018); मण्डी: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम जूनी खड्ड से ऊपरी पंडोह (जुलाई 2016); तथा मण्डी: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम सुका कुन (2017)।

[12] झंडुता: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम बरड मनन तथा मण्डी: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम सुका कुन।

न होने के कारण, क्लोरीनीकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर को ऊपर उल्लिखित मुख्य भंडारण टैंकों में मैन्युअली डाला जाता था।

- दो जल आपूर्ति स्कीमों[13] में प्रयोगशाला का प्रावधान स्कीमों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में रखा गया था। ये स्कीमें 2016-17 के दौरान पूर्ण की गई थी, लेकिन इन स्कीमों के निष्पादन के समय प्रयोगशाला का प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया गया था। इस प्रकार, जल शोधन संयंत्र स्थल पर जल का कोई परीक्षण नहीं किया जाता है।

अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) में चर्चा के दौरान, सचिव ने सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित मण्डलों को निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

4.6.7 पूर्ण हो चुकी जलापूर्ति स्कीमों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का प्रभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पूर्वगामी परिच्छेदों में दर्शाई गई पूर्ण जल आपूर्ति स्कीमों में कमियां थीं, जिसका लाभार्थियों को पेयजल की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा:

- राज्य ने वर्ष 2030 तक सभी शहरी आबादी को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा ग्रामीण आबादी को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा था। तथापि, केवल 10.39 *प्रतिशत* शहरी आबादी तथा 61.43 *प्रतिशत* ग्रामीण आबादी को क्रमशः कम से कम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही थी।

- **परिच्छेद 4.2** में दर्शाए गए चयनित नमूने की नौ उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमों के लाभार्थियों को स्त्रोत एवं पम्पिंग मशीनरी में कमियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आपूर्ति के डिजाइन की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 22 से 67 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बीच तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 73 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली) जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही थी।

- जल शोधन इकाई में कमियों के कारण, नौ जल आपूर्ति स्कीमों के लाभार्थियों को असुरक्षित जल की आपूर्ति की जा रही थी। इन स्कीमों में, आपूरित जल मैला, बदबूदार तथा बिना फ़िल्टर के था। क्लोरीनीकरण स्तर में कमियों के परिणामस्वरूप छः जल आपूर्ति स्कीमों में लाभार्थियों को असुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हुई तथा अवशिष्ट क्लोरीन जो 0.2 मिलिग्राम/लीटर होने चाहिए, तीन जल आपूर्ति स्कीमों के आउटलेट से एकत्र किए गए जल नमूने में पहचान सीमा से कम था। लेखापरीक्षा ने एक नमूने का परीक्षण करवाया तथा जल

[13] मण्डी: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम जूनी खड्ड तथा उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम सुका कुन।

के नमूने में 23/100 सबसे संभावित संख्या का कुल कोलीफॉर्म पाया गया। वास्तव में, आपूर्ति किए गए जल ने लाभार्थियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा किया।

- लाभार्थियों के सर्वेक्षण में हुई पुष्टि के अनुसार भंडारण एवं वितरण नेटवर्क में कमियों के कारण, दो जल आपूर्ति स्कीमों में अपर्याप्त पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी।

4.7 नमूना-जांचित पूर्ण स्कीमों का लाभार्थी सर्वेक्षण

लेखापरीक्षा दल द्वारा 40 पूर्ण हो चुकी स्कीमों के संबंध में लाभार्थियों का सर्वेक्षण (जुलाई 2021-मार्च 2022) किया गया था। सर्वेक्षण में प्रत्येक स्कीम के शुरुआत से अंतिम छोर तक 1109 लाभार्थियों को शामिल किया गया (शुरुआती लाभार्थी: 279, मध्य लाभार्थी: 256 तथा अंतिम छोर के लाभार्थी: 574)। सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा तथा उनका संतुष्टि स्तर नीचे **तालिका-4.5** में दिया गया है:

तालिका-4.5

नमूना-जांचित की गई 40 पूर्ण स्कीमों के संबंध में लाभार्थी सर्वेक्षण तथा संतुष्टि स्तर का विवरण

मापदंड	सर्वेक्षण किए गए लाभार्थी	संतुष्टि स्तर प्रतिक्रिया	
		लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशतता
सुरक्षित/पीने योग्य पेयजल के बारे में जागरूकता	1,109	987	89
पीने, खाना पकाने एवं अन्य घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त जल की आपूर्ति	1,109	885	80
वर्ष भर पेयजल की आपूर्ति की उपलब्धता	1,109	824	74
नियमित अंतराल पर पेयजल की आपूर्ति	1,109	903	81
पेयजल की आपूर्ति न होने से संबंधित विभाग के पास दर्ज कराई गई पानी की शिकायतें	1,109	440	40
बहु/वैकल्पिक स्रोतों से पेयजल तक पहुंच	1,109	558	50
अंतिम छोर तक गृहवासियों को पर्याप्त जल (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) की आपूर्ति	574	427	74
लाभार्थी की जल गुणवत्ता संतुष्टि	1,109	876	79
परीक्षण के लिए जल आपूर्ति स्त्रोतों से नमूनों का संग्रहण	1,109	237	21
निजी स्रोतों (कुओं/ बावड़ियों) के जल के नमूनों का संग्रह तथा परीक्षण	1,109	95	09
जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के स्थानों के बारे में जागरूकता	1,109	138	12
लाभार्थियों को दिए जा रहे पेयजल पर प्रशिक्षण तथा जागरूकता देने वाली सूचना, शिक्षा एवं संचार की गतिविधियां	1,109	184	17
संचालन एवं रखरखाव के कारण अकार्यात्मक जल आपूर्ति स्कीमें	1,109	383	35
जल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के बारे में जागरूकता	1,109	118	11
प्रयोक्ता प्रभारों का संग्रहण तथा उनका स्कीमों के संचालन एवं रखरखाव के लिए उपयोग	1,109	643	58
बिलिंग/पर्याप्त जल प्रयोजन हेतु गृहवासियों के लिए पानी के मीटर की स्थापना	1,109	25	2
आपूर्ति किए जा रहे जल की मात्रा के बावजूद विभाग को फ्लैट प्रभारों का भुगतान किया गया	1,109	851	77

ऊपर दी गई **तालिका** से देखा जा सकता है कि:

- जल की पर्याप्त आपूर्ति का समग्र संतुष्टि स्तर 80 *प्रतिशत* था, लेकिन अंतिम छोर के लाभार्थियों का संतोषजनक स्तर 74 *प्रतिशत* था।
- यद्यपि सर्वेक्षण किए गए कुल लाभार्थियों में से 79 *प्रतिशत* उन्हें आपूर्ति की जा रही जल की गुणवत्ता से संतुष्ट थे, केवल 21 *प्रतिशत* परीक्षण के लिए जल आपूर्ति स्त्रोतों से नमूने एकत्र करने के बारे में जानते थे, 12 *प्रतिशत* जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के स्थानों के बारे में जानते थे, 17 *प्रतिशत* ने पेयजल पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता सृजन गतिविधियों के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी तथा केवल 11 *प्रतिशत* को जल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए फील्ड टेस्ट किट के बारे में पता था।

4.8 चयनित अपूर्ण जलापूर्ति स्कीमों में कमियां

पंद्रह चयनित मण्डलों से 15 अपूर्ण पेयजल आपूर्ति स्कीमों को विस्तृत जांच के लिए लिया गया था। इन स्कीमों का ब्यौरा **परिशिष्ट-2** में दिया गया है तथा लेखापरीक्षा के दौरान नौ स्कीमों में पाई गई कमियों का उल्लेख **तालिका-4.6** में किया गया है।

तालिका-4.6

नमूना-जांचित मण्डलों में अपूर्ण स्कीमों में कमियां

(₹ करोड़ में)

स्कीम का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति का मास / निर्धारित पूर्णता अवधि	अनुमोदित लागत/ व्यय	स्कीम की स्थिति	लेखापरीक्षा मुद्दे तथा उत्तर
1. मण्डी जिला में ढाबन तथा टांडा के आंशिक रूप से आच्छादित की गई बस्ती को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना (बग्गी मण्डल)	जनवरी 2017 तथा सितंबर 2019 / 4 वर्ष	1.00 व 3.14/1.19	*सितंबर 2021 तक अपूर्ण* (चल रहा विलंब: 8 माह) - ट्यूबवेल की ड्रिलिंग पूर्ण की गई थी (जुलाई 2017)	**वितरण प्रणाली**, **पंप हाउस**, **संप वेल तथा भंडारण टैंक**, **निधियों की कमी इत्यादि के कार्यों को आबंटित किया गया (अगस्त** 2019 **से मार्च** 2021); **तथा परिणामत**: **स्कीम को पूर्ण करने में विफलता।** अधिशाषी अभियंता ने (अक्टूबर 2021) बताया कि स्रोत/बोरवेल के विकास के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण स्कीम में विलम्ब हुआ। तथापि, बोरवेल को जुलाई 2017 में ही मण्डल द्वारा ड्रिल कर दिया गया था ।
2. बिलासपुर जिला के अली खड्ड से शिरा की उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम से आंशिक रूप से	अगस्त 2009 तथा सितंबर 2012 / 4 वर्ष	1.06/0.71	*अक्टूबर 2021 तक अपूर्ण* (चल रहा विलंब: 61 माह) - ठेकेदार द्वारा वितरण सिस्टम 15382	**जल शोधन संयंत्र**, **पंप हाउस**, **क्लियर वॉटर टैंक के निष्पादन तथा राइजिंग मेन बिछाने के लिए भार मुक्त भूमि की अनुपलब्धता**; **पंप हाउस का निर्माण नहीं होने के कारण सितंबर** 2015 **में ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाई गई पंपिंग मशीनरी बेकार पड़ी थी।**

स्कीम का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति का मास / निर्धारित पूर्णता अवधि	अनुमोदित लागत/ व्यय	स्कीम की स्थिति	लेखापरीक्षा मुद्दे तथा उत्तर
आच्छादित बस्ती (बिलासपुर मण्डल)			रनिंग मीटर (18470 रनिंग मीटर में से) बिछाया गया (02/2017 तक)	अधिशाषी अभियंता ने बताया (अक्टूबर 2021), कि जल शोधन संयंत्र, पंप हाउस इत्यादि की साईट पर भूमि विवाद के कारण स्कीम को पूर्ण नहीं किया जा सका। विभाग ने उचित अनुक्रम का पालन अर्थात् पहले जल का एक विश्वसनीय स्रोत, जल शोधन संयंत्र तथा पंप हाउस सुनिश्चित नहीं किया।
3. हमीरपुर जिला में उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम बगवार का निर्माण (भोरंज मण्डल)	सितंबर 2018 / 4 वर्ष	0.80/0.11	अक्टूबर 2021 तक अपूर्ण	**ठेकेदारों द्वारा तीन वर्ष से अधिक समय से स्कीम का निष्पादन न किया जाना। विभाग द्वारा कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी।** अधिशाषी अभियंता ने बताया (नवंबर 2021) कि ठेकेदारों द्वारा कार्यों का निष्पादन नहीं करने के मामले की जांच की जाएगी तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
4. चम्बा जिला में छावनी क्षेत्र डलहौजी को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना (डलहौजी मण्डल)	अभी तक अनुमोदित नहीं है।	--/0.19	अगस्त 2021 तक आरम्भ नहीं की गई	**वन भूमि की अनुपलब्धता के कारण स्कीम का अनुमोदन न होना।**
5. कांगड़ा जिला में जल आपूर्ति स्कीम रामनगर शामनगर में पीने योग्य नल के जल में सुधार के लिए लिए अत्याधुनिक जल संयंत्र (धर्मशाला मण्डल)	नवंबर 2018 / 5 वर्ष	5.46/1.50	*फरवरी 2022 तक अपूर्ण* (स्कीम दो वर्ष से अधिक समय से रूकी पड़ी थी)	**भूमि की अनुपलब्धता।** **ठेकेदार को ₹1.49 करोड़ का भुगतान किया गया था (अक्टूबर 2019) लेकिन अभी तक समायोजित नहीं किया गया था; तथा ठेकेदार को ₹ 32.71 लाख की अतिरिक्त प्रतिभूत अग्रिम का भुगतान किया गया था लेकिन अनुबंध-विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।** अधिशाषी अभियंता ने बताया (मार्च 2022) कि बस्ती-वासियों ने आरम्भ में भूमि दान करने पर सहमति व्यक्त की थी लेकिन बाद में इनकार कर दिया। साईट बदली जा रही है।
6. कुल्लू जिला में रायसन माली पाथेर जल आपूर्ति स्कीम का संवर्धन (कुल्लू-1 मण्डल)	दिसंबर 2014 / 4 वर्ष	2.56/2.30	*जुलाई **2021** तक अपूर्ण* (जल शोधन संयंत्रों के निर्माण के बिना मार्च **2021** में आरम्भ की गई स्कीम)	**जुलाई 2021 तक फेज-**1 **के अवसादन टैंक तथा धीमी रेत फिल्टर बेड के कार्य को आबंटित न करना;** **ठेकेदारों को आंबटित किए गए अवसादन टैंक तथा धीमी रेत फिल्टर बेड (फेज़-II) के कार्य का निष्पादन न करना (अगस्त 2016)।** अधिशाषी अभियंता ने बताया (अगस्त 2021) कि नाला स्रोत आरम्भ में प्रस्तावित किया गया

स्कीम का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति का मास / निर्धारित पूर्णता अवधि	अनुमोदित लागत/ व्यय	स्कीम की स्थिति	लेखापरीक्षा मुद्दे तथा उत्तर
				था, लेकिन निष्पादन के दौरान स्कीम के लिए जल झरना स्रोत से दोहन किया गया था, जिसके लिए अवसादन टैंकों तथा फिल्टर बेडों की कोई आवश्यकता नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग के निर्देशानुसार (मार्च 2016) सभी नई जल आपूर्ति स्कीमों में जल शोधन संयंत्र का निर्माण करना अनिवार्य था।
7. शिमला जिला में 8 नम्बर उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमों का संवर्धन (मतियाना मण्डल)	मार्च 2012 / 5 वर्ष	12.79/9.42	*फरवरी **2022** तक अपूर्ण* (पंप हाउस (दूसरा चरण) का कार्य तथा वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य प्रगति पर है।)	**प्रथम चरण के जल शोधन संयंत्र एवं पम्प हाउस के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल की अनुपलब्धता**; **पहले और दूसरे चरण के लिए ठेकेदार द्वारा अगस्त 2016 में उपलब्ध करवाई गई पंपिंग मशीनरी (₹2.18 करोड़) फरवरी 2022 तक बेकार पड़ी थी।** अधिशाषी अभियंता ने बताया (मार्च 2022) कि वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति न मिलने तथा स्थल विवादों के कारण स्कीम विलम्बित हुई। तथापि, तथ्य यह है कि विभाग ने स्कीम को चालू करने के लिए पहले जल का विश्वसनीय स्रोत, जल शोधन संयंत्र तथा पंप हाउस को सुनिश्चित करने के अनुक्रम का पालन नहीं किया।
8. कांगड़ा जिला में जल आपूर्ति स्कीम कुसमल बगोरा के अंतर्गत आच्छादित नहीं की गई/ आंशिक रूप से आच्छादित की गई बस्तियों को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना (पालमपुर मण्डल)	फरवरी 2012 / 3 वर्ष	0.62/0.59	*दिसंबर 2021 तक अपूर्ण* (चल रहा विलंब: 82 माह) - वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण किया (07/2014)	**वन विभाग की स्वीकृति न मिलने के कारण कार्य का निष्पादन न होना।** अधिशाषी अभियंता ने बताया (जनवरी 2022) कि अभिप्रेत उद्देश्य के लिए वन भूमि के परिवर्तन का मामला शुरू किया गया था, लेकिन अनुमोदन प्रतीक्षित था।
9. चम्बा जिला के छुटे हुए हाडला बनेटू को जल आपूर्ति स्कीम (सलूणी मण्डल)	मार्च 2014 / 3 वर्ष	0.48/0.29	*सितंबर 2021 तक अपूर्ण* (चल रहा विलंब: 54 माह)- ठेकेदार द्वारा अक्टूबर 2015 तक **6,810** रनिंग मीटर	**अक्टूबर 2014 में आंबटित किए गए इन्टेक चैम्बर, आरसीसी भण्डारण टैंक तथा वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य सितंबर 2021 तक ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया गया था।** संबंधित अधिशाषी अभियंता ने बताया (अक्टूबर 2021) कि ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई विचाराधीन है।

स्कीम का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति का मास / निर्धारित पूर्णता अवधि	अनुमोदित लागत/ व्यय	स्कीम की स्थिति	लेखापरीक्षा मुद्दे तथा उत्तर
			(20615 रनिंग मीटर में से) की वितरण प्रणाली बिछाई गई	

अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान, सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि अपूर्ण स्कीमों की स्थिति अब बदल गई है। यह भी कहा गया कि चूककर्ता ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ करने के लिए संबंधित मण्डलों के साथ मामले को उठाया जाएगा।

निष्कर्ष

राज्य का 100 *प्रतिशत* ग्रामीण गृहवासियों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य जून 2021 तक आंशिक रूप से (76 *प्रतिशत*) पूर्ण हो गया था। नमूना-जांचित किए गए मण्डलों में लाभार्थी आबादी को पेयजल की लक्षित मात्रा तथा गुणवत्ता प्रदान नहीं की जा सकी। स्त्रोत, जल शोधन इकाई, पम्पिंग मशीनरी, राइजिंग/ग्रेविटी मेन, भण्डारण टैंक/ वितरण नेटवर्क तथा ऑटोमेशन/ क्लोरीनेशन सिस्टम में कमियां थीं, जिससे प्रयोक्ता आबादी को आपूर्ति किए गए जल की मात्रा तथा गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सिफारिशें

विभाग को जल आपूर्ति प्रतिष्ठापनों की मुरम्मत/ संवर्धन करके नागरिकों को लक्षित पेयजल की गुणवत्ता तथा न्यूनतम मात्रा दोनों सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए। नियमित अंतराल पर इसे स्कीमों की प्रभावशीलता को मापने के लिए लाभार्थी आबादी की प्रतिक्रिया भी लेनी चाहिए।